

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....दुगाप देवी.....

बनाम

.....राजा उर्फ रामलाल.....

किस्म मुकदमा :- 188 BB A-T Act

नंबर 15 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10-12-25	<p><u>छाट 6-11-15</u> पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब नौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>7-1-26</u> को पेश हो <u>LU</u></p> <p><u>7-1-26 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपो</u> <u>तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक</u> <u>28-1-26 को पेश होगी</u></p> <p style="text-align: center;"><u>उपखण्ड अधिकारी</u> <u>रूपनगढ़ (अजमेर)</u></p>	
28/1/26	<p><u>10/1/26</u> पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब नौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>18-2-26</u> को पेश हो <u>LU</u></p>	
18-2-26	<p><u>18-2-26 पत्रावली पेश हुई वकील वादी की ओर से</u> <u>वकील श्री जितेन्द्र उजासि ने प्रतिनिधित्व</u> <u>पत्र पेश किया। वकील उ सिवादी उपस्थित।</u> <u>तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 01-3-26</u> <u>को पेश होगी</u></p> <p style="text-align: center;"><u>उपखण्ड अधिकारी</u> <u>रूपनगढ़ (अजमेर)</u></p>	
11-3-26	<p><u>11-3-26 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित।</u> <u>वकील प्रतिवादी उप। छाट-छाट आवार्ड</u> <u>दिलवायी गयी। छाट-छाट आवार्ड</u> <u>दिलवाने के बाद छडी व वकील वादी</u> <u>में से कोई उपस्थित नहीं। अतः वादी</u> <u>का उपस्थित एजरी/कॉर्ट परकी के</u> <u>खारिज किया जाता है।</u> <u>पत्रावली के तलबुआर होकर नभर के</u> <u>कम हो।</u></p> <p style="text-align: center;"><u>उपखण्ड अधिकारी</u> <u>रूपनगढ़ (अजमेर)</u></p>	